

झारखण्ड सरकार
स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग
(माध्यमिक शिक्षा निदेशालय)

-: अधिसूचना :-

297
10/02/2021

संख्या-13/नि.वि.02-26/2020...../निजी विद्यालयों को केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE), नई दिल्ली एवं काउन्सिल ऑफ इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशंस (CISCE), नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त करने हेतु राज्य सरकार द्वारा विभागीय अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) निर्गत करने की ऑनलाईन प्रक्रिया विभागीय अधिसूचना संख्या-2003 दिनांक 20.10.2016 द्वारा निर्धारित की गई है।

DPIIT, भारत सरकार के द्वारा Ease of Doing Business के तहत SBRAP/DBRAP के आलोक में उक्त विभागीय अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने की प्रक्रिया को ऑनलाईन करते हुए 'झारखण्ड राज्य सेवा देने की गारंटी अधिनियम, 2011' के तहत निर्धारित समयावधि में निष्पादित किया जाना है।

माध्यमिक शिक्षा निदेशालय स्तर पर प्राप्त सभी ऑनलाईन आवेदनों की विधिवत् जाँच कर विभागीय अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु निम्नवत् समिति गठित की जाती है:-

1. सचिव, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखण्ड, राँची द्वारा - अध्यक्ष
मनोनीत कोई विभागीय पदाधिकारी (संयुक्त सचिव से अन्यून)
2. उप निदेशक/अवर सचिव, माध्यमिक शिक्षा (विषय प्रभारी) - सदस्य
3. क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक, दक्षिणी छोटानागपुर प्रमण्डल, राँची - सदस्य

झारखण्ड राज्य सेवा देने की गारंटी अधिनियम, 2011 के धारा-3 में निहित प्रावधान के तहत विभागीय अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने की प्रक्रिया एवं समय-सीमा निम्नवत् निर्धारित की जाती है :-

1. (i) विद्यालय द्वारा केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE), नई दिल्ली एवं काउन्सिल ऑफ इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशंस (CISCE), नई दिल्ली से सम्बद्धता प्राप्त करने हेतु NOC प्राप्त करने की पूर्ण प्रक्रिया 45 दिनों में निष्पादित की जायेगी।

(ii) अनापत्ति प्रमाण पत्र हेतु आवेदक निजी विद्यालयों द्वारा विभागीय वेबसाईट के Online Services में निर्धारित ऑनलाईन फॉर्म समर्पित किया जाएगा, जिसे संबंधित जिला शिक्षा पदाधिकारी के द्वारा CBSE/CISCE द्वारा मान्यता प्रदान करने हेतु निर्धारित अर्हता के आलोक में तथा विभागीय चेक-स्लीप के आलोक में जांच कर जांच प्रतिवेदन अनुशंसा सहित माध्यमिक शिक्षा निदेशालय को ऑनलाईन प्रेषित किया जाएगा।

उक्त कार्य को जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा 20 दिनों के अंदर पूर्ण करना अनिवार्य होगा।

2. जिला शिक्षा पदाधिकारी से जांच प्रतिवेदन प्राप्त होने के पश्चात् उक्त की समीक्षा निदेशालय स्तर पर की जायेगी। निदेशालय द्वारा जांच के क्रम में यदि विद्यालय की अर्हता में कोई कमी/त्रुटि पाई जाती है, तो उक्त आवेदन को संबंधित जिला शिक्षा पदाधिकारी को संशोधित प्रस्ताव/वांछित अभिलेख उपलब्ध कराने हेतु ऑनलाईन पोर्टल पर वापस किया जाएगा। जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा त्रुटि का निराकरण करते हुए आवेदन पुनः निदेशालय को अग्रसारित किया जायेगा। उपरोक्त प्रक्रिया को 15 दिनों के अंदर पूर्ण करना अनिवार्य होगा।

15 दिनों के अंदर यदि विद्यालय द्वारा ऑनलाईन पोर्टल पर वांछित अभिलेख/संशोधन समर्पित नहीं किया जाएगा, तो जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा कारण स्पष्ट करते हुए आवेदन को माध्यमिक शिक्षा निदेशालय को ऑनलाईन अग्रसारित किया जायेगा।

3. (i) जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा उपलब्ध कराये गये ऑनलाईन आवेदन/संशोधित ऑनलाईन आवेदन की जांच के पश्चात् माध्यमिक शिक्षा निदेशालय द्वारा NOC निर्गत करने का प्रस्ताव तैयार कर उपरोक्त गठित समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा।

(ii) समिति द्वारा जांच के क्रम में यदि विद्यालय की अर्हता में कोई कमी/त्रुटि पाई जाती है, तो समिति द्वारा ऑनलाईन पोर्टल पर विद्यालय का आवेदन अस्वीकृत करने का कारण स्पष्ट करते हुए निरस्त किया जाना अनिवार्य होगा।

(iii) समिति द्वारा जांच के पश्चात् अनुशंसित निजी विद्यालयों हेतु विभागीय अनापत्ति प्रमाण पत्र समिति के अध्यक्ष द्वारा ऑनलाईन निर्गत किया जायेगा।

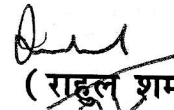
उपरोक्त कंडिका (i), (ii) एवं (iii) का निष्पादन 10 दिनों के अन्दर किया जाना अनिवार्य होगा।

अपील की प्रक्रिया

झारखण्ड राज्य सेवा देने की गारंटी अधिनियम-2011 की धारा-6 में निहित प्रावधान के तहत संबंधित निजी विद्यालय का ऑनलाईन आवेदन अस्वीकृत होने के फलस्वरूप अपील दायर करने संबंधी प्रक्रिया एवं समय-सीमा कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, रांची द्वारा निर्गत अधिसूचना के अनुसार होगी।

पूर्व में निर्गत एतद् संबंधी सभी अधिसूचना को इस हद तक संशोधित किया जाता है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

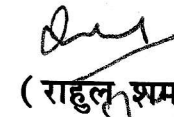

(राहुल शर्मा)

सरकार के सचिव।

ज्ञापांक-13/नि.वि.02-26/2020.....²⁹⁷.....

रांची, दिनांक 10/02/2021

प्रतिलिपि:-अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, डोरण्डा, राँची को झारखण्ड गजट के आगामी असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

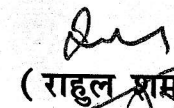

(राहुल शर्मा)

सरकार के सचिव।

ज्ञापांक-13/नि.वि.02-26/2020.....²⁹⁷.....

रांची, दिनांक 10/02/2021

प्रतिलिपि:-झारखण्ड राज्य के महामहिम राज्यपाल के प्रधान सचिव/माननीय मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव/माननीय मंत्री, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के आप्त सचिव/मुख्य सचिव, झारखण्ड/सभी विभाग के प्रधान सचिव/सचिव/सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/निदेशक, माध्यमिक शिक्षा/निदेशक, प्राथमिक शिक्षा/सभी उपायुक्त/सभी उप विकास आयुक्त/सभी क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक/सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी/सभी जिला शिक्षा अधीक्षक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


(राहुल शर्मा)

सरकार के सचिव।